

25/18
2018

2018/00145

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, घोहरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प बाहडाऊ

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाहडाऊ व भू.अ.नि. लीलखर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाहडाऊ/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील बाहडाऊ जिला बाहडाऊ की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
①	<u>बाहडाऊ,</u> <u>खेमपुरा</u> <u>श्री शिवोवला</u>	158 49 27	<u>देदा पुत्र नरेशिंगा</u>	<u>देदाराम पुत्र नरेशिंगा</u>



(बाहडाऊ)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

दस्तावेज :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाहडाऊ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पादाना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
घोहरा